494

302

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक [redacted] प0 3(66)नविवि/03/08

जयपुर, दिनांक :– 20/8/08

सचिव [redacted]
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय:– शहरी जमाबन्दी की राशि आवासीय दर के आधार पर लिये जाने बाबत।

संदर्भ:– आपका पत्र क्रमांक डी–1405 दिनांक 02.08.08 एवं डी–1487 दिनांक 18.08.08

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित/विकसित भूमि के संदर्भ में आदेश दिनांक 02.11.07 व 19.012.07 के अन्तर्गत लीज राशि वसूलने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश क्रमांक प. 3 (65) नविवि/3/06–ए द्वारा क्षेत्र की प्रचलित नियमन दर/रूपान्तरण दर का 4 गुणा राशि को आवासीय आरक्षित दर मानते हुए इसका 2.5 प्रतिशत लीज राशि आवासीय, शैक्षणिक, सामाजिक व चैरिटेबिल संस्थाओं, क्लिनिक, नर्सिंग होम व ट्यूरिज्म यूनिट, मल्टीप्लेक्स व आडिटोरियम प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर वसूली योग्य है। उपरोक्त प्रयोजन के अलावा अन्य प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि हेतु आवासीय आरक्षित दर (प्रचलि[redacted] नियमन दर/रूपान्तरण दर का 4 गुणा राशि) का 5 प्रतिशत लीज राशि के रूप[redacted] में वसूली योग्य है।

भवदीय,

(सुनील कुमार शर्मा)
उप शासन सचिव–द्वितीय

Badri j 4